



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

इ-मेल /स्पीड पोस्ट

E-Mail/Speed Post

Ref No.: AAI/CHQ/ED ENGG SR/AGATTI/CONSULT-DPR/WO/2022/184

Dated: 07.09.2022

To,
M/s ILF Consulting Engineers (India) Pvt. Ltd.
405, Landmark, New Link Road,
Andheri (W) Mumbai -400053
E-MAIL: bksingh9@gmail.com

विषय : अगती हवाई अड्डे का विकास और उन्नयन। उपशीर्षक: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श। (निविदा आई. डी.: 2022_AAI_121302_1)

Sub: Development and up-gradation of Agatti Airport. SH: Consultancy for preparation of Detailed Project Report (Tender ID: 2022_AAI_121302_1)

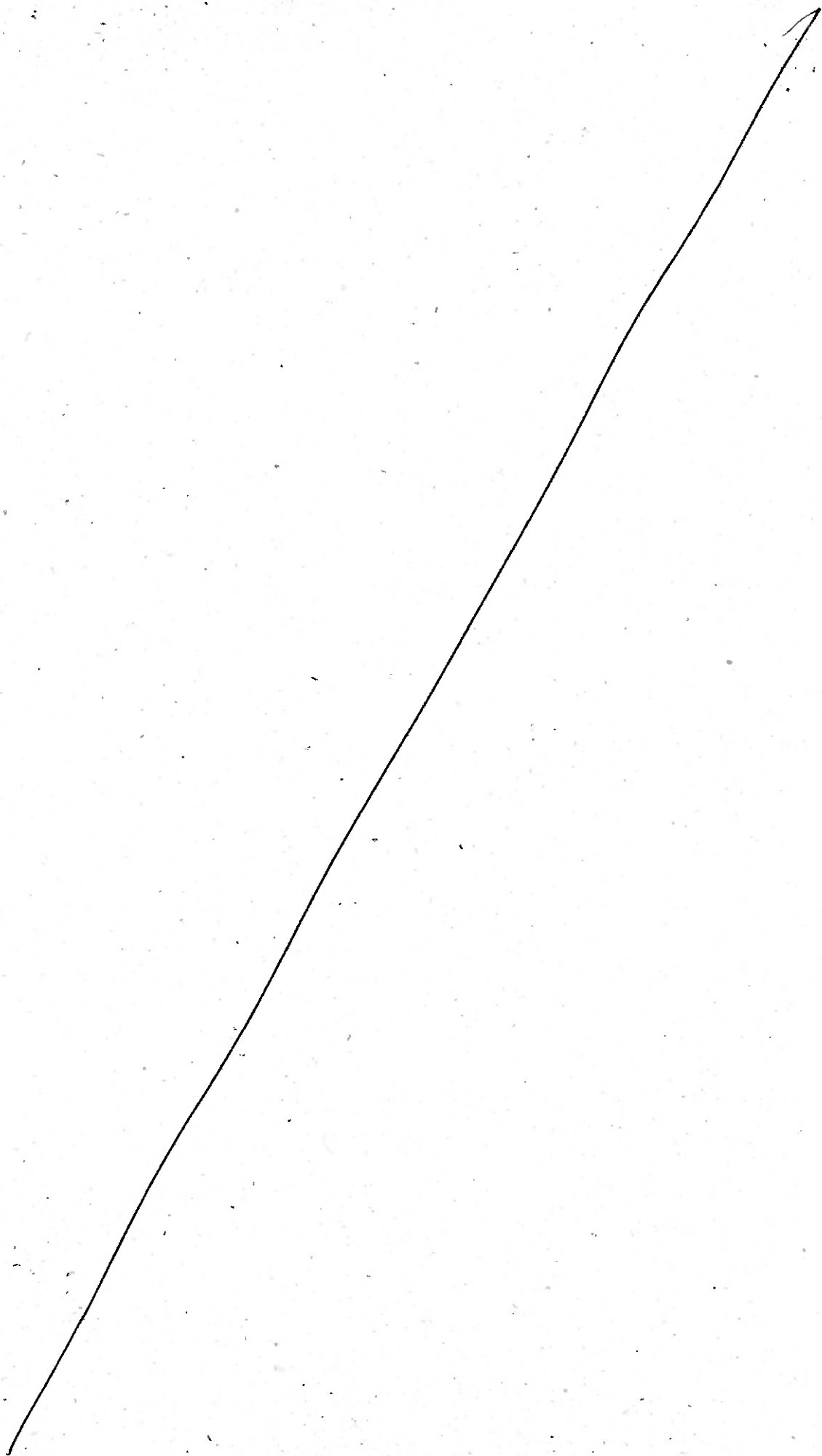
Ref: Your tender (Financial Bid) opened through CPP portal on 02.08.2022.

Dear Sir(s),

1. उपरोक्त कार्य के लिए आपकी निविदा अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से आपके द्वारा उद्धृत कुल राशि रुपये 1,85,83,125.00 (रुपये एक करोड़ पचासी लाख तिरासि हजार एक सौ पच्चीस मात्र) जीएसटी को छोड़कर लेकिन अन्य सभी लागू करों सहित स्वीकार की जाती है।

Your tender for the work mentioned above is hereby accepted on behalf of Chairman, Airports Authority of India, at the amount quoted by you totaling to **Rs. 1,85,83,125.00** (Rupees one Crore Eighty-five Lacs eighty-three thousand One hundred Twenty-five Only) exclusive of GST but inclusive of all other applicable taxes.

2. विषय कार्य के लिए उप महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-सिविल), भा.वि.प्रा., नि. मु. प्रभारी अभियंता होंगे। आपसे अनुरोध है कि उप महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-सिविल)- द.क्षे., नि. मु., भा.वि.प्रा., ब्लॉक-ए, तीसरी मंजिल, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003 के कार्यालय में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और अनुबंध को पूरा करने के लिए 20.09.2022 तक उपस्थित हों। अनुबंध 100/- रुपये (एक सौ रुपये) के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा और स्टाम्प पेपर की लागत आपके द्वारा वहन की जाएगी।



Dy. General Manager (Engg -Civil), AAI, CHQ shall be the Engineer –in-Charge for the subject work. You are requested to attend the office of Dy. General Manager (Engg-Civil)-SR, CHQ, AAI, Block-A, 3rd Floor, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003 by 20.09.2022 to sign and complete the contract agreement. The contract agreement shall be executed on non-judicial stamp paper of value Rs.100/- (Rupees one hundred) and the cost of the stamp papers shall be borne by you.

3. निविदा दस्तावेज के खंड 4.3 के अनुसार सुरक्षा जमा राशि की वसूली की जाएगी यदि आप चालू बिलों से सुरक्षा जमा राशि की कटौती नहीं करवाना चाहते हैं, तो, ऐसे मामले में सुरक्षा राशि रुपये 9,29,156/- (रुपये नौ लाख उन्तीस हजार एक सौ छप्पन मात्र) आपके द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी अनुसूचित बैंक लेकिन सहकारी या ग्रामीण बैंक से नहीं निर्धारित प्रपत्र के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में जमा की जा सकती है (निविदा दस्तावेज के अनुबंध-IX के अनुसार), ऐसा न करने पर निविदा दस्तावेज के खंड 4.3 के अनुसार कटौती की जाएगी।

Security deposit shall be recovered as per clause 4.3 of the tender document, If you want non-deduction of Security amount from the running bills, in such a case the amount likely to be deducted as security of Rs. 9,29,156/- (Rupees Nine Lakhs Twenty-Nine Thousand One Hundred Fifty-Six Only) can be deposited by you in the form of Bank Guarantee from Nationalized Bank or any Scheduled Bank but not co-operative or Gramin Bank in accordance with the prescribed form (Annexure-IX of tender document), failing which the same shall be deducted as per clause 4.3 of the tender document.

4. आपसे अनुरोध है कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम 1971, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 और ईएसआई अधिनियम 1948, समय-समय पर संशोधित नियम के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के प्रावधान का पालन करें।

You are requested to comply with the provision of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and Contract Labour (Regulation and Abolition) central rules 1971, Child labour (Prohibition & Regulation) Act 1986, Construction workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1996, Building and other Construction workers welfare cess Act 1996, Minimum Wages Act 1948, Employees Provident Fund & Misc. Provisions Act 1952 and ESI Act 1948, amended from time to time and rules thereof central and State Governments.



5. आपको उप महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-सिविल)- द.क्षे., भा.वि.प्रा., नि. मु. से तुरंत संपर्क करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है जो आपको अनुबंध प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के संबंध में निर्देश देंगे।

You are also directed to contact Dy. General Manager (Engg-Civil)-SR, AAI, CHQ immediately who will advise you regarding modalities of taking up the work as per contract provisions.

4. कृपया ध्यान दें कि कार्य करने के लिए अनुमत समय 4 महीने होगा और इसकी गणना इस पत्र के जारी होने के 10वें दिन से होगी।

Please note that time allowed for carrying out the work shall be 4 months and same shall be reckoned from the 10th day after issue of this letter.

5. अनुबंध के संबंध में किसी भी भावी पत्राचार को सामान्यतया प्रभारी अभियंता को संबोधित किया जाना चाहिए।

Any future correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Engineer- in -Charge.

6. कृपया रसीद की पावती दें और इसके साथ संलग्न इस पत्र की डुप्लीकेट प्रति हस्ताक्षर करने के बाद अधोहस्ताक्षरी को स्वीकृति के प्रतीक के रूप में लौटा दें।

Please acknowledge the receipt and return the duplicate copy of this letter enclosed herewith after signing it to the undersigned as a token of acceptance.

7. In case of any ambiguity, the english version will be followed.

Yours Faithfully,



(M. Yadaiah)

General Manager (Engg-Civil)-SR, CHQ.
For and on behalf of the Chairman,
Airports Authority of India.